[श्री भक्त दर्शन]

कार्य होगा। श्री थानू पिल्ले ने जोश में आकर यह कह दिया कि अगर राजनैतिक पीड़ितों के साथ न्याय नहीं किया गया तो वे ब्रूटफोर्स (पाशविक शक्ति) का इस्तेमाल करेंगे, ब्रूट फोर्स यह शब्द इस्तेमाल कर दिया जो कि मैं समझता हूं कि अवांछनीय है और नहीं किया जाना चाहिए था। हमारे इन स्वाधीनता संग्राम के साथियों ने देश के सामने एक 'आत्म शक्ति' का उदाहरण रक्खा है और उनके द्वारा पाशविक शक्ति का प्रदर्शन करके अपनी मांग को स्वीकार कराने का कार्य कभी नहीं हो सकता है, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है।

मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे प्रधान मंत्री जी और हमारे शिक्षा मंत्री महोदय और हमारे उपमंत्री महोदय जिनको कि हमारे डा० राम सुभग सिंह ने "जनता मंत्री" का टाइटिल दे डाला है, मैं तो उनको इससे भी ऊंची पदवी देने के पक्ष में हूं, लेकिन खैर जनता मंत्री आपने उनको कहा है तो मुझे पूरा भरोसा है कि वे अपनी पूरी शक्ति को इस कार्य में लगायेंगे और मैं समझता हूं कि जैसा कि बहुत से मेरे अन्य साथी कह चुके हैं अगली बार जब हम यहां नई पार्लियामेंट में अगर भगवान ने सफलता हमको दी तो हम यहां पर आयेंगे और हो सकता है कि बहुत से लोग अभाग्यवश यहां पर दुबारा न आ सकें।

बहुत से लोगों की शक्ल शायद इस सदन में न दिखलाई पड़े। बहुत से लोग जो आएंगे वे सब मिल कर इस बात को देखेंगे कि जो संकल्प हम लोग स्वीकार कर रहे हैं उस पर अमल हो चुका है या नहीं और हम ने अपने देश के स्वाधीनता-संग्राम के सैनिकों के प्रति अपने कर्तव्य का पालन किया है या नहीं।

BUSINESS OF THE HOUSE

17 hrs.

The Minister of Parliamentary Affairs (Shri Satya Narayan Sinha): Sir, I rise to announce that Government Business for the last week of the session commencing 17th December will be as follows:

1. Discussion and voting of Supplementary Demands for Grants—General and for Railways and Demands for Excess Grants for Railways.
2. Appropriation Bills relating to these Demands.
3. Representation of the People (Miscellaneous Provisions) Amendment Bill.
4. Banking Companies (Amendment) Bill.
5. Union Duties of Excise (Distribution) Amendment Bill.
6. Central Excise and Salt (Amendment) Bill (to be introduced on 17th December).
7. Kerala State Legislature (Delegation of Powers) Bill.
8. Territorial Councils Bill.
9. Delivery of Books (Public Libraries) Amendment Bill, as passed by Rajya Sabha.
10. Delhi (Control of Building Operations) Continuance Bill.
11. Delhi Tenants (Temporary Protection) Bill.
12. Slum Areas (Improvement and Clearance) Bill.

The last 3 bills are expected to be passed by Rajya Sabha early next week.

The order which I have announced of the above items of business is also the order in which they are provisionally scheduled to be brought forward.

As regards discussion on the fixation of pay scales and other service conditions of employees of Life Insurance Corporation, it is proposed, subject to your approval, Sir, to hold it at 5-00 P.M. on Monday, the 17th December.

RESOLUTION *RE* SCHOLARSHIPS FOR CHILDREN OF POLITICAL SUFFERERS—*Contd.*

श्री रघुवीर सहाय: सभापति महोदय, जो प्रस्ताव हमारे माननीय मित्र डा० राम सुभग सिंह ने रक्खा है उसके उद्देश्य से मैं पूरी तरह सहमत हूं और मैं उसका स्वागत करता हूं। अगर्चे हम यह चाहेंगे कि जब

इस प्रस्ताव के पास करने की नौबत आवे तो वह इस शक्ल में पास हो जैसी कि मैंने अपने संशोधन में लिखी है:

"Having regard to the very deplorable financial condition of most of the political sufferers in the country, the Government in the opinion of this House, should, not only make provision for imparting education free to the children from primary to the university stage, but also award scholarships in suitable cases."

मैं समझता हूं कि इसके समर्थन में मेरे लिए यह आवश्यक नहीं है कि मैं उन बातों का यहां पर वर्णन करूं कि ब्रिटिश काल में किन-किन लोगों ने और किन-किन जमातों ने फायदा उठाया है, और उनके चले जाने के बाद कौन-कौन लोग फायदा उटा रहे हैं। मेरे खयाल में इस प्रस्ताव का महत्व बहुत ज्यादा है और वह अपने महत्व के ऊपर ही इस भवन में पास कराया जा सकता है।

मैं यह समझता हूं कि हमारे राजनीतिक पीड़ितों की जो दुर्दशा इस समय है वह किसी से छिपी हुई नहीं है। मैं इसके मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि चाहे स्टेट्स की सरकारें हों चाहे केन्द्रीय सरकार को, उनकी शोचनीय दशा वह नहीं जानतीं हैं। यह बात और है कि इस तरफ उनका ध्यान अभी पूरी तरह से आकर्षित न हुआ हो। मैं इस बात के भी पक्ष में हूं कि जहां तक राजनीतिक पीड़ितों के बच्चों की तालीम और उनको दूसरी सुविधायें देने की बात है, उसमें किसी तरीके की भी तफरीक सरकार को नहीं करनी चाहिए। अगर उन्होंने आजादी की लड़ाई में भाग लिया है, चाहे वह किसी तरह पर हो, चाहे हिंसात्मक तरीके से चाहे अहिंसात्मक तरीके से, यह तो मानना ही पड़ेगा कि उनकी नियत बड़ी अच्छी थी और उन सब लोगों की तकलीफों से और उनकी तपस्या से ही आज हम अपने देश को स्वतंत्र देख रहे हैं, और स्वतंत्रता के जो फायदे हैं उनको भी पा रहे हैं।

अब आप देखिए कि सन् १९२१ में जब महात्मा गांधी ने अपना सत्याग्रह आन्दोलन शुरू किया तो कितने लोग उनके पीछे, उनके आदेश के अनुसार जेलों में गए, उनमें न सिर्फ वकील और बैरिस्टर, मुख्तार, रुपए पैसे वाले जमींदार बल्कि हजारों गरीब आदमी, जो कभी भी यह खयाल नहीं करते थे कि उनकी जिन्दगी में स्वराज्य मिल सकेगा, भी थे। मेरा खयाल है कि उन अनगिनत आदमियों में से आज भी बहुत से मौजूद हैं, जिनकी दशा बड़ी खराब है। जैसी कि हमारे यहां एक बड़ी भौंडी सी मसल है कि चोर चोरी से जाय पर हेरा फेरी से नहीं जा सकता। इसी तरह से जिन लोगों ने सन् १९२१ में महात्मा गांधी के आदेश से सत्याग्रह किया था उनमें से भी बहुत से लोग आज जिन्दा हैं, सन् १९४२ और १९४४ तक जितने भी आन्दोलन हुए उन सभी में उन्होंने भाग लिया है। लेकिन अगर आज देखा जाए कि उनके बच्चों की क्या हालत है, तो वह चीज वाकई बड़ी शोचनीय है। इसी प्रकार जब सन् १९३० में नमक का कानून तोड़ने का आन्दोलन किया गया, और उसके बाद सन् १९३१ से १९३३ तक दूसरा आन्दोलन लगान बन्द करने का किया गया तो उसमें भी कितने ही अनगिनत आदमी जेलों में गए, उस वक्त जो गरीब आदमी जेल गए उनमें से बहुत से आज जिन्दा हैं। इसी प्रकार से जब सन् १९४१ का व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ तो आदमी जेल गए, सन् १९४२ का 'भारत छोड़ो' आन्दोलन हुआ तो भी अनगिनत आदमी जेल गए। इन तमाम राजनीतिक पीड़ितों के लिए मैं विशेष तौर पर कहना चाहता हूं कि आज उनमें से बहुत थोड़े ऐसे हैं जो पार्लियामेंट के मेम्बर्स हैं या ऐसेम्बलीज के मेम्बर्स हैं या जो एलेक्टिव आफिसेज में लगे हुए हैं और थोड़ा सा रुपया पैसा कमा सकते हैं और अपने बाल बच्चों की तालीम पर खर्च कर सकते हैं। अनगिनत आदमी ऐसे हैं जिनके खाने-पीने का और अपने बच्चों की तालीम का कोई जरिया नहीं है। जैसा कि अभी हमारे एक माननीय दोस्त ने कहा कि बहुत से लोग तो इस बात में शरमाते हैं

[श्री रघुवीर सहाय]

कि हम दर्ख्वास्त कैसे दें? क्योंकि जब स्वराज्य के लिए आन्दोलन होते थे उस समय वह जिस वातावरण में रहे हैं, उस वातावरण में वह यह बात ठीक नहीं समझते कि वह दर्ख्वास्त दें और दर दर मारे मारे फिरें और लोगों की खुशामद करें और बाद में इस खिफफत को बर्दास्त करें की उनकी दर्ख्वास्त खारिज हो। लेकिन आज जमाना बहुत बदल गया है, हम सोशलिस्टिक पैटर्न की हुकूमत बनाने जा रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि यह वेलफेयर स्टेट है, यह जनता की सेवा का जमाना है, इसलिए इस चीज में हमें कोई कमी नहीं बरतनी चाहिए। हमें कोई तो कदम आगे बढ़ाना चाहिए।

अभी हफ्ते दो हफ्ते की बात है, जब चीन गया हुआ हमारा डेलिगेशन वापस आया तो अध्यक्ष महोदय ने संसद् के हाल में एक व्याख्यान दिया, हम सब लोग वहां गए थे और उनके व्याख्यान को ध्यानपूर्वक सुना। उसमें कई एक ऐसी बातें थीं जिनका हम लोगों पर बड़ा असर हुआ। उनमें से एक खास बात यह थी कि उन्होंने कहा कि चीन में पढ़ाई लिखाई बहुत कम कीमत में होती है, वहां खाने की चीजें बहुत कम कीमत में मिलती हैं। जो एक मामूली आदमी की सुविधाएं हैं वह सब बहुत कम खर्चे में मिलती हैं। हम नौ वर्ष की आजादी के बाद भी नहीं कह सकते कि हिन्दुस्तान में ऐसा हुआ है। आज तालीम की जो हालत है उसको बच्चों के माता पिता जानते हैं। अगर बच्चे को स्कूल में रखना होता है तो कम से कम ४० या ५०रुपया भेजना पड़ता है। चूंकि स्कूल्स में मास्टर ठीक से पढ़ाते नहीं है इसलिए उनको प्राइवेट ट्यूटर रखना पड़ता है, वह भी २५ रुपये महीने से कम नहीं लेता है। जो लड़के कालेज या युनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं उनके ऊपर सौ या सवा सौ रुपया माहवार से कम खर्च नहीं होता है। ये राजनीतिक पीड़ित जिनके बारे में मैंने अभी दो चार बातें कहीं हैं ये कैसे अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। उनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। उनका सारा भार हमारी सरकार को अपने ऊपर ले लेना चाहिए। हां मैं यह मानता हूं कि वह दिन दूर नहीं और उसे अवश्य आना चाहिये जबकि वास्तव में हमारे देश के अन्दर एक सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी की स्थापना होगी और जब हमारी स्टेट सही मानों में एक वैलफेयर स्टेट हो गी और सब बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा सरकार के ऊपर होगा और सब लोगों की बीमारियों के इलाज के लिए दवा दारू का इंतिजाम गवर्नमेंट करेगी। लेकिन मैं समझता हूं कि शायद उस दिन के आने में काफी देर लगेगी। इसलिए कम से कम इन लोगों के बच्चों के प्रति हमें अपना कर्तव्य निभाना चाहिये जिनकी तपस्या से, जिन की सेवाओं से हमें स्वराज्य प्राप्त हुआ है, हमें आजादी मिली है।

मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। केवल एक बात कहकर समाप्त कर दूंगा। जैसा मैंने पहले कहा कि बहुत ही कम लोग उन राजनीतिक पीड़ितों में हैं जो कि पार्लियामेंट के या स्टेट असम्बेलीस के मैम्बर हो सके हैं। आज चाहे आप इसको दुर्भाग्य कहें और चाहे सौभाग्य कहें, टिकिट देते वक्त यह देखा जाता है कि वह आदमी जिसको टिकिट दिया जा रहा है इलैकशन में खड़े होने के लिए, क्या वह खर्चा कर सकता है। यह ठीक हो सकता है, उचित हो सकता है लेकिन मेरे कहने का मतलब यही है कि बहुत से राजनीतिक पीड़ित इलैकशन में भी खड़े नहीं हो सकते हैं। इस तरह से अगर उनको इलैक्शन में खड़े होने से भी रोका गया और उनकी आमदनी का भी कोई इंतिजाम नहीं किया गया तो इसके माने यह होंगे कि उनके बच्चे हमेशा के लिए अनपढ़ रह जायेंगे और अनपढ़ बच्चे आप जानते ही हैं कि एक सोशल डेंजर हो सकते हैं। इस डेंजर से बचने के लिए भी यह आवश्यक है कि हम इस प्रस्ताव को मंजूर करें और इस सवाल पर हमदर्दी से गौर करें

और जो भी सहायता हम इन बच्चों के लिए दे सकते हैं, दें ।

Shri S. C. Deb (Cachar—Lushai Hills): Mr. Chairman, I heartily support the motion moved by Dr. Ram Subhag Singh. I have some experience of the political sufferers that this Resolution speaks of. From 1921, I was one of the soldiers of Indepenence movement. I had come across thousands of young countrymen joining the movement, belonging to different parties and different ideologies. I had the opportunity and good fortune to come across most of them.

My experience is that they are suffering very much when we are envisaging the development of the country in every way. They feel shy to come and demand something on the ground that they are suffering. There are thousands of persons who went to jail, who faced lathi-charges and bayonets who lost their lives.

I was here for some five years. Before that I was sitting in the corner of my little hut. Every time I get to my constituency, the political sufferers come to me for some help but I am helpless and I am unable to give them any relief. I know that some States have some schemes for helping them. But, the executive authority had no respect for the political sufferers. They may have some respect for the M.L.As. or M.Ps. but not for those who suffered the most for the freedom of the country. Though some schemes were adopted by the State Governments, their funds are scanty. Further speaking for my State because of the unhelpful attitude of the executive authorities in scrutinising the cases, they took so many things into consideration and in the first instance very few persons, numbering 40 or 50, were selected. Then, in the second instance, some 400 or 500 were selected of whom very few were getting any relief.

It is the duty of the Government to come to the relief of these fighters of freedom. An argument may be advanced that they did not fight for freedom expecting any reward. It may be so. But, it is the duty of the Government of the day to place them in a position so that they are also respected persons in the country. They are the soul of the country. Our Government should see that their sufferings are reduced when we are going forward with the development of the country in every direction.

First of all, I would propose the preparation of list of political sufferers throughout the country. It should be scrutinised. The cases of their dependents and children should also be scruinised. They should be given adequate help from the Central Government. The State Governments are not well equipped with funds and the Central Government, if it so desires,—Dr. Ram Subhag Singh said—could find resources for that purpose. Our Education Minister is a great patriot. He is very considerate and generous and such good qualities are possessed by him. We are contemplating the writing of the History of the Freedom Movement. The list of political sufferers should also be there. The Central Government should help them in every way to raise their status equal to that of the other persons of the country.

पंडित ह्रा० ना० तिवारी : चेयरमैन साहब मेरा संशोधन इस प्रकार है :

> "This House is of opinion that a Committee be set up to enquire into the condition of Political Sufferers and to suggest ways and mens to help their dependents."

मैं गत दो वर्षों से प्रयत्न कर रहा था कि यह प्रस्ताव इस हाउस के सामने आवे । चूंकि यह प्रस्ताव बैलट में नहीं आ सका इस वास्ते न तो वह यहां पेश हो सका और न ही उसको यहां पर डिसकस किया जा सका । बड़े सौभाग्य की बात है कि डा० राम सुभग सिंह जी का प्रस्ताव इस सदन के सामने आया है । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज पोलिटिकल

[पंडित द्वा० ना० तिवारी]

सफरर्स की क्या हालत है, इसका अंदाजा लगाना अनुमान से बाहर है। जो लोग कि देहात के कार्यकर्त्ता हैं जिनको लोग जानते तक नहीं, वे तिल तिल दुःख भोग रहे हैं और अपने दुःख को किसके सामने रखें, यह उनकी समझ में नहीं आता है। हमें आजाद हुए तकरीबन दस साल हो गए हैं और उनकी दशा आज पहले से भी खराब हो गई है। जिस वक्त आजादी की लड़ाई चल रही थी जोश में आकर उन्होंने इस बात का खयाल नहीं किया कि उनके घरों की क्या हालत होगी, उनके बाल बच्चों की क्या हालत होगी और उनकी वृद्धावस्था कैसे गुजरेगी।

वे अपना सर्वस्व होम करके इस देश की आजादी के लिए लड़े। हम ने हमेशा यह देखा है कि किसी भी लड़ाई में लड़ने वाले सिपाही को बाद में रीहैबिलिटेट किया जाता है, उसकी कुछ न कुछ सहायता की जाती है। इस सदन में भी बार-बार यह प्रश्न आता है कि डीमाबिलाइज्ड सोल्जर्ज को रिहैबिलिटेट किया जा रहा है या नहीं और गवर्नमेंट बराबर यह जवाब दिया करती है कि इतने लोगों को जमीन दी गई है, इतने लोगों को नौकरी दी गई, इत्यादि लेकिन यह कितने आश्चर्य की बात है कि आज की लड़ाई के सिपाहियों के सम्बन्ध में यहां पर कोई प्रश्न नहीं आता। यह कहा जाता है कि यह काम राज्य सरकारों के जिम्मे है। मैं मानता हूं कि कुछ राज्य सरकारों ने कुछ रुपया पैसा देने का प्रबन्ध किया है, लेकिन यह मामला इतना बड़ा है—यह समस्या इतनी बड़ी है कि यह राज्य सरकारों के बस की बात नहीं है। मैं बिहार की बात जानता हूं। वहां करीब पचास साठ लाख रुपया राजनीतिक पीड़ितों को दिया गया, लेकिन कैसी हालत में वह दिया गया और किस तरह दिया गया, यह एक दर्दनाक कहानी है। आप जानते हैं कि बिहार में राजनीतिक पीड़ितों की संख्या बहुत है। हिन्दुस्तान के किसी भी प्रान्त में शायद उतने राजनीतिक पीड़ित नहीं होंगे, जितने कि बिहार में हैं और उनकी हालत बहुत ही शोचनीय हो गई है। सन् १९२१ या सन् १९३० में वे बच्चे थे, जब कि वे अपने अपने स्कूल और कालिज छोड़ कर स्वतंत्रता-संग्राम में भाग लेने के लिए आगे आए और आज १९५६ में उनकी अवस्था पचास-पचपन वर्ष की हो गई है कोई उनको देखने वाला नहीं है। उनकी लड़कियों की शादी नहीं हो रही है। उनके बच्चों का एजूकशन नहीं हो रहा है। जिन लोगों ने दरख्वास्तें दीं, उनको क्या दिया गया? किसी को १५० रुपए, किसी को २०० रुपए और किसी को ५०० रुपए दिए गए। यह कितना हास्यास्पद एमाउंट है। इतने से न किसी का रीहैबिलिटेशन हो सकता है और न ही एक वर्ष की भी समस्या हल हो सकती है। चूंकि बिहार सरकार या किसी भी और सरकार के पास इतने साधन नहीं हैं कि वे पोलीटिकल सफरर्ज की समस्या को हल कर सकें, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस समस्या को एक संकुचित रूप में न लेकर —केवल लड़कों की पढ़ाई की बात न लेकर—पोलीटिकल सफरर्ज की सारी स्थिति की जांच की जाय और अगर उनकी या उनके बच्चों की कोई देख-रेख करने वाला न हो, तो उनकी देख-रेख का प्रबन्ध किया जाय। जो लोग १९२०, १९३० या १९४२ में मारे गए, उनकी विधवायें हैं। उनमें से कुछ को तो रुपए मिले हैं, कुछ को नहीं मिले हैं। मेरे प्रान्त में कुछ को दो हजार रुपए दिए गए। आप स्वयं सोच सकते हैं कि उस दो हजार रुपए से एक विधवा का क्या होगा। अगर उसकी कोई लड़की है, तो वह सारा रुपया उसकी शादी में ही खर्च हो गया और आज वह या तो किसी का गेहूं पीस कर, पानी भर कर या जूठे बरतन मल कर जीवन व्यतीत कर रही है या उसको भूखा रहना पड़ रहा है। समय के अभाव के कारण मैं सदन में उन लोगों की दुर्दशा का पूरा विवरण नहीं दे सकता हूं। लेकिन मैं यह निवेदन अवश्य करूंगा कि जिन राजनीतिक पीड़ितों

को असेम्बली या पार्लियामेंट में जगह मिल गई है, या जो किसी ओहदे पर हैं, उनकी दशा को देख कर साधारण राजनीतिक पीड़ितों की दशा का अन्दाजा न लगाया जाय। उनको जानने वाले भी कम हैं और उनकी पहुंच भी सीमित है। बहुत से लोगों ने इस लिए भी दरख्वास्तें नहीं दी, क्योंकि वे ऐसा करना स्वाभिमान के खिलाफ समझते हैं। इसलिए उनको वह दो, चार या पांच सौ रुपए भी नहीं नहीं मिल सके। इसके विपरीत जो लोग हुशियार और चालाक थे, उन्होंने पीड़ित न होने पर भी सरकार को भ्रम में डाल कर रुपया ले लिया। मैं ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूं।

मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि राजनीतिक पीड़ितों को पुनस्संस्थापित करने की समस्या छोटी नहीं है। यहां पर जो प्रस्ताव पेश किया गया है, उसमें कहा गया है कि केवल उनके बच्चों की पढ़ाई की समस्या की जांच की जाय। मैं इससे सहमत नहीं हूं और इस कारण कि जिनके घर खाने को नहीं है, पहनने को वस्त्र नहीं हैं, वे लड़कों को पढ़ा कैसे सकते हैं। वे तो इस ख्याल में रहते हैं कि उनका लड़का काम करके एक सर अनाज ला कर दे कि घर में बूढ़ा बाप या बूढ़ी मां पेट भर सकें। यह समस्या बहुत बड़ी है और इस लिए मैं अपील करूंगा कि डा० राम सुभग सिंह और गवर्नमेंट मेरे इस संशोधन को स्वीकार कर लें, जिससे यह समस्या केन्द्रीय सरकार में आ जाय और इसकी समुचित जांच हो सके।

मैं कुछ राजनीतिक पीड़ितों के पत्र भी अपने साथ लाया हूं, जिन को पढ़ने से हृदय विदीर्ण होता है,। कोई लिखता है कि मेरी बच्ची की शादी होनी है, मैं क्या करूं?

पंडित कृ० चं० शर्मा : शादी न करें।

पंडित द्वा० ना० तिवारी : शर्मा जी कहते हैं कि शादी न करें। अगर इन की अपनी बच्ची होती, तो वह क्या समझते—उनके मन की अवस्था क्या होती? किसी राजनीतिक पीड़ित के बारे में इस प्रकार लाइट-हार्टिड वे में बोल देना मैं नहीं समझता कि इनको शोभा देता है।

एक माननीय सदस्य : उन्होंने मजाक में कहा है।

पंडित द्वा० ना० तिवारी : यह मजाक का विषय नहीं है।

सरदार अ० सि० सहगल (बिलासपुर): यह बड़ा गम्भीर विषय है।

पंडित द्वा० ना० तिवारी : यह समस्या बड़ी अहम है और सरकार इस को सारे हिन्दुस्तान की समस्या समझ कर देखे। जुलाई, अगस्त, १९५५ में दिल्ली विधान सभा में इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव आया था कि इन लोगों की कुछ सहायता की जाय। उसमें यह तय किया गया था कि राजनीतिक पीड़ितों को कुछ पेन्शन दी जाय। मेरा कहना यह है कि हर राजनीतिक पीड़ित को पेन्शन देना स्टेट गवर्नमेंन्ट के बूते की बात नहीं है। वह केन्द्रीय सरकार ही दे सकती है और जैसे गत महायुद्ध के सिपाहियों को पुनस्संस्थापित किया जाता है, उससे भी अधिक सुन्दरता के साथ इस काम को हाथ में लेना चाहिए। माननीय मंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वह इस संशोधन को मान कर सारे हिन्दुस्तान में यश प्राप्त करें।

एक खतरा और भी है, जिसकी ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। राजनीतिक पीड़ितों की पेशेन्स—उनके धैर्य की एक सीमा होती है। यह न समझा जाय कि आप बराबर उनकी इच्छा की अवहेलना और उनकी अवस्था की उपेक्षा कर सकते हैं। राजनीतिक पीड़ितों की संख्या इतनी है, उनमें जोश इतना है कि यदि वे चाहें तो सारी सरकार को उलट सकते हैं। इससे पहले कि उनके धैर्य की सीमा का बान्ध टूट जाय, सरकार चेते और इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करे।

श्री राम दास : जो प्रस्ताव इस सदन में पेश किया गया है, मैं उसका स्वागत करता हूं और जिन्होंने इसको पेश किया है, उनको मैं बधाई देता हूं। यह प्रस्ताव संसद में बहुत पहले आ जाना चाहिए था और और अब चूंकि यह आ गया है, इसलिए इसको कबूल कर लेना चाहिए। इस में कोई मतभेद नहीं है कि इस किस्म के जो पोलीटिकल सफरर्ज हैं, उनकी मदद की जानी चाहिए और उनको हर तरह से सहूलियत मिलनी चाहिए, क्योंकि उनकी कुर्बानी से ही हम अपनी आजादी को प्राप्त कर सके हैं। उनको नेगलेक्ट करना और उनकी तरफ ध्यान न देना एक बड़ा भारी अहसान-फरामोशी का काम होगा। इस प्रस्ताव में कोई बहुत बड़ी मांग तो की नहीं गई है, यह नहीं कहा गया है—जैसा कि एक आनरेबल मेम्बर ने संशोधन रखा है—कि उन की सारी हालत को देखकर उनकी हर किस्म की इमदाद करनी चाहिए। रेजोल्यूशन में तो एक रेस्ट्रिक्टिड मांग है कि उन लोगों के जो बच्चे हैं, जिनको वे तालीम नहीं दे सकते, उनको तालीम देने का प्रयत्न सरकार की तरफ से होना चाहिए। मैं इससे सहमत हूं, लेकिन मैं इसमें थोड़ी सी तरमीम करना चाहता हूं, जो कि मैंने इस सदन के सामने पेश कर दी है।

पहली योजना और दूसरी योजना के अन्दर हमारी सरकार का यह खास तौर से प्रयत्न है कि हमारे मुल्क के अन्दर बेरोजगारी नहीं रहनी चाहिए। बेरोजगारी को दूर करना कोई आसान् काम नहीं है। जिन-जिन लोगों ने या मुल्कों ने या कौमों ने या राज्यों ने इस काम को करने का प्रयत्न किया है, इसमें वे पूरी तरह से सफलता नहीं प्राप्त कर सके हैं। अपने देश की बढ़ती हुई जनसंख्या को देखकर तो हम यह कह सकते हैं कि एक योजना नहीं दो, तीन, चार योजनाओं के बाद भी शायद हम बेरोजगारी को अपने मुल्क से खत्म न कर सकेंगे। इसलिए मैंने यह सुझाव रखा है कि सरकार अपने ही खर्च से बेरोजगारी पैदा न करे क्योंकि अगर ये वजीफे जिसको लिबरल एजूकेशन कहते हैं उसे देने के लिए दिये गये तो इससे पढ़े लिखों की बेरोजगारी और बढ़ेगी। जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं वे तो अपने हाथ से काम करके अपना पेट पालन कर लेते हैं, वे तो हाथ से काम करने में और नहीं समझते। लेकिन हमारे पढ़े लिखे नौजवान हाथ से काम करना पसन्द नहीं करते। इसके अन्दर वे अपनी बेइज्जती समझते हैं। कि इसके अन्दर हमारी आन नहीं रहती और हम लोगों की नजरों में गिर जाते हैं। इसलिए अगर सरकार अपना रुपया लिटरेरी एजूकेशन, नान प्रोफेशनल ऐजूकेशन, नान वोकेशनल एजूकेशन पर खर्च करेगी तो वह एक तरह से पढ़े लिखे आदमियों को पैदा करेगी और उनकी बेरोजगारी को बढ़ायेगी, और इस किस्म के लोगों की तादाद मुल्क में बढ़ाना खतरे से खाली नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इन लड़कों को लाजिमी तौर पर इस बात के लिए उत्तेजित किया जाये कि वह ऐसे इंस्टीट्यूशनों में जाय जहां उनको टैकनिकल एजूकेशन मिल सकती है, जहां उनको वोकेशनल एजूकेशन मिल सकती है, साइंटिफिक एजूकेशन मिल सकती है ताकि वे तालीम हासिल करने के बाद बेरोजगार न रहें और बेकार न फिरें और अपने रोजगार के लिए किसी के मोहताज न हों, और अपना पेट पाल सकें और अगर उनके मां बाप हों जिन्होंने कि आजादी की लड़ाई में तकलीफ उठायी हैं तो उनके लिए भी वे खानें, कपड़े की और दूसरी आसाइशें मुहैया कर सकें। अगर हम इस इमदाद को उन लोगों के लिए इम्पर मार्क कर देंगे जो कि इस तरह के टैकनिकल इंस्टीट्यूशन्स में जाकर तालीम हासिल करेंगे, तो मैं समझता हूं कि हम केवल उन नौजवानों का ही भला नहीं करेंगे, बल्कि हम अपने मुल्क के अन्दर पढ़े लिखों की बेरोजगारी में ज्यादती करने के भी भागी नहीं होंगे।

जो रिजोल्यूशन आनरेबल मेम्बर ने मूव किया है उसे तो सरकार को मंजूर कर ही

लेना चाहिए । मैं नहीं समझता कि ऐसा करने में सरकार को क्या दिक्कत हो सकती है । शायद वह यह कहें कि इस काम के लिए उनके पास पैसा नहीं है, जैसा कि उन्होंने उस वक्त कहा था जब कि हमने उनसे प्राइमरी एजूकेशन फ्री और कम्पलसरी करने के लिए कहा था। हो सकता कि वह इस वक्त भी यही कहें कि उनके पास रुपया नहीं है । इस सम्बन्ध में मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि सरकार ने कुछ पबलिक स्कूल खोले हैं । उन पर सरकार बहुत रुपया खर्च कर रही है, पर उनमें ज्यादातर अमीरों के ही लड़के तालीम हासिल कर सकते हैं। इसमें शक नहीं कि एजूकेशन डिपार्टमेंट कुछ गरीब लड़कों को इमदाद देकर वहां भेजता है लेकिन उनकी तादाद बहुत कम होती है । जो रुपया इन पबलिक स्कूल्स पर सरकार खर्च करती है अगर उसको इस तरफ डाइवर्ट कर दिया जाये तो बहुत सारे लोगों की मदद हो सकती है, और उन स्कूलों के तालिबइल्म तकरीबन उसी तरह की तालीम दूसरे स्कूलों में हासिल कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि स्कूलों में भी इस तरह का फर्क करना हमारे लिए ठीक नहीं होगा । इसलिए मैं इन चन्द अल्फाज के साथ एजूकेशन मिनिस्ट्री से ऐसा करने के लिए अपील करूंगा। जो साहब इस वक्त हमारी अपील को सुन रहे हैं उनका दिल तो इस बात से उभरा हुआ है, वह तो आगे ही इसको मंजूर करने को बैठे हुए हैं। वह तो जानते हैं कि हमारे राजनीतिक पीड़ितों को किस तरह से तकलीफ उठानी पड़ रही है । वे जानते हैं कि उन लोगों ने बहुत सफर किया है । अगर देश को आजादी मिलने के बाद भी वे लोग सफर करते रहें तो यह बड़े भारी अन्याय की बात होगी । जिस तरह से वे लोग गैर राज्य में तकलीफें उठाते थे, यदि वे आजादी मिलने के बाद भी वैसे ही तकलीफ उठाते रहे तो यह लज्जा की बात होगी । इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार इसको स्वीकार कर ले । इसमें ख र्च की ऐसी कोई बात नहीं है । सरकार लाखों और करोड़ों रुपया आज खर्च कर रही है । अगर वह कहीं से भी थोड़ा सा संकोच कर दे तो इन लड़कों की तालीम के लिए रुपया मिल सकता है । इन चन्द अल्फाज के साथ मैं अपना अमेंडमेंट मूव करता हूं और उम्मीद करता हूं कि प्रस्तावक महोदय इसको स्वीकार कर लेंगे और गवर्नमेंट भी इसको मंजूर कर लेगी ।

Mr. Chairman: I think Members should not take now more than five minutes each. So many hon. Members are wanting to speak.

Sardar A. S. Saigal: This is an important matter. I request that we should be given some time.

Mr. Chairman: The time has been given by the Business Advisory Committee.

Sardar A. S. Saigal: The time can be extended with the consent of the House.

Shri Gidwani (Thana): Names were taken by the Deputy-Speaker. He announced that these are the speakers, and they will be given ten minutes each.

Mr. Chairman: I have not gone back on that assurance. The Deputy-Speaker's list is before me.

Shri A. K. Gopalan (Cannanore): The time is 2 hours and 23 minutes. There is another Resolution. There are seven minutes for me. That time may be given. I should not be made a political sufferer today.

Mr. Chairman: Sardar Saigal. The hon. Member will confine himself to five minutes.

Shri M. K. Moitra: (Calcutta North-West): The Chair should look to this side also so that we may catch your eye.

Mr. Chairman: The first speaker was from this side.

Shri Raghavachari (Penukonda): I will make one submission. Though the matter may be important, the importance of the matter needs more

[Shri Raghavachari]

people associating themselves with the proposals. It is not the argument that counts so much. Therefore, five minutes will do. More people must associate themselves with this.

Mr. Chairman: That is so. Let the Members confine themselves to five minutes each.

सरदार अ० सि० सहगल: सभापति जी, जो प्रस्ताव मेरे मित्र डा० राम सुभग सिंहजी ने पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं समझता हूं कि सदन को यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए। हो सकता है कि इस प्रस्ताव के कारण हमारी सरकार को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़े। मैं समझता हूं कि यह प्रस्ताव हमारे राजनीतिक पीड़ितों की माली हालत सुधारने के लिए नहीं लाया गया है। यह तो इसलिए लाया गया है कि उनके जो बच्चे हैं, और जो अपनी पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, उनकी शिक्षा का प्रबन्ध भारत सरकार करे। मैं समझता हूं कि प्रस्ताव इस रास्ते की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। राज्यों की सरकारों ने इस तरफ कदम बढ़ाया है लेकिन वह दाल में नमक के बराबर है। आप देखें तो मालूम होगा कि राज्य सरकारों ने जो राजनीतिक पीड़ितों के लिए पैसा खर्च किया है वह बहुत ही थोड़ा है क्योंकि जो उनके आर्थिक साधन हैं उनको देखते हुए वे इससे ज्यादा कर भी नहीं सकतीं। इसलिए अगर हमारी सरकार हमारे राजनीतिक पीड़ितों की माली हालत को नहीं सुधार सकती तो कम से कम उनके बच्चों को पूरी शिक्षा देने का तो प्रबन्ध अवश्य करे। यहां पर कुछ मित्रों ने कहा कि उनको मैट्रिक तक पढ़ा दिया जाये। यह कोई भीख मांगने की बात नहीं है कि उनको मैट्रिक तक पढ़ा दिया जाये। उनको पूरी शिक्षा मिलनी चाहिए। आज मैट्रिक पास की क्या कद्र है। आज बी० ए० एम० ए० मारे-मारे फिर रहे हैं। इसलिए इन लड़कों की पूरी शिक्षा देनी चाहिए और यह सरकार क कर्तव्य है।

अभी सन् १९४६ में चीन ने अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त की है। चीन में यह अवस्था है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उनके यहां के जितने भी राजनीतिक थे उनको डिपार्टमेंट्स का हैड बनाया हुआ है क्योंकि वह जानते हैं कि अगर हमें एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है तो हमको अपनी पार्टी के लोगों को रखना पड़ेगा और उन्होंने उन लोगों को रखा है।

लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि दूसरी पार्टी के लोगों को उन्होंने निकाल कर बाहर कर दिया है। दूसरी पार्टियों के लोगों को भी अपने साथ में रख कर और उसी गवर्नमेंट में लेकर काम कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या हमारा यह कर्त्तव्य नहीं हो जाता कि हमारे जो भी भाई हों और चाहे उनकी कोई भी विचारधारा क्यों न हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन यदि उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए काम किया है तो हमारा कर्त्तव्य है कि हम उन लोगों के मामलों को भी देखें और उनको बिना किसी भेद-भाव और पक्षपात के हर संभव सहायता पहुंचाने का प्रयास करें।

अब सभापति महोदय आप बंगाल में आते हैं और मैं इस अवसर पर बंगाल के उन देशभक्तों की याद ताजा कराना चाहता हूं जिन्होंने कि अंग्रेजी साम्राज्य के सामने उस समय सिर उठाया जब कि कोई उठाने की देश में हिम्मत नहीं करता था। बंगाल में बंग-भंग आन्दोलन किया गया और उसके बाद बंगाल में एनार्किज्म का जमाना आया और क्रान्तिकारियों ने अपने तरीके से देश को आजादी की राह पर बढ़ाने का प्रयत्न किया और उस सिलसिले में बंगाल के उन देशभक्त शूरवीरों को अनेक कष्ट और यातनाएं भोगनी पड़ीं और कितने ही हमारे भाई गोली के शिकार हो गये और फांसी के तख्ते पर झूल गये। यह हो सकता है कि उन्होंने एक ऐसा रास्ता अपनाया हो जो कि कांग्रेस का अहिंसा का रास्ता नहीं था लेकिन इसमें कोई शक नहीं

कि उन्होंने जो कुछ भी किया वह देश की आजादी को मद्देनजर रखते हुए किया। इसी तरीके से सन् १८५७ के स्वाधीनता संग्राम में जिसको कि अंग्रेजों ने १८५७ का बलवा बतलाया हालांकि वह मेरी समझ में भारतीय स्वतंत्रता के लिए भारतीयों द्वारा लड़ी गई पहली लड़ाई है, उसमें भारतीयों ने अंग्रेजी हुकूमत की दासता से अपने देश को आजाद कराने का प्रयत्न किया और उस सिलसिले में उन्होंने क्या कुछ यातनाएं और कष्ट नहीं झेले। आज हम देखते हैं कि उन बेचारों की बड़ी खराब हालत हो रही है और वे भाई जिनकी कि पहले हजारों लाखों रुपये की आमदनी थी, आज उनकी आर्थिक अवस्था बहुत खस्ता है और आज उनके परिवार के लोगों के पास इतना भी पैसा नहीं है कि वे अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकें और ऐसी अवस्था में क्या यह हमारा कर्त्तव्य नहीं हो जाता है कि हम यदि उनकी फाइनैंनशियल हैल्प नहीं कर सकते तो कम से कम उन राजनैतिक पीड़ितों के जो बच्चे हैं, उनके पढ़ाने का पूरा इंतजाम करें।

पेशावर कांड को लेकर जो हमारे देशभक्त सैनिकों ने त्याग और बलिदान किया और देशभक्ति का एक आदर्श देश के सामने रक्खा आज उनकी कैसी हालत है। आप आज जो उन वीर सिपाहियों को जो १४ रुपये या १५ रुपये पेंशन देने का प्रस्ताव कर रहे हैं तो क्या इससे उनकी हालत सुधर सकती है और क्या उससे वे अपने बच्चों का ठीक से लालन-पालन कर सकते हैं और पढ़ा सकते हैं।

मैं आशा करता हूं कि हमारे उपमंत्री महोदय जो कि उस बंगाल प्रान्त से आते हैं जहां के लोगों ने देश के सामने एक देशभक्ति और आत्मत्याग का उदाहरण रक्खा है, वे राजनैतिक पीड़ितों के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था जरूर कर देंगे और इसके लिए सभापति महोदय मैं आपके द्वारा शिक्षा विभाग के मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वे उन तमाम राजनैतिक पीड़ितों के बच्चों के लिए पूरी पढ़ाई मुफ्त दिलवाने का इंतजाम करेंगे। हो सकता है कि इसको अमल में लाने के रास्ते में कुछ दिक्कतें पेश आयें लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप उन दिक्कतों को रफा कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि हर एक जिले में रजिस्टर्स मौजूद होंगे बशर्ते कि वे खराब न हो गये हों, हर एक राज्य की सरकार के पास इस किस्म के रजिस्टर्स होंगे कि दरअसल किस को जरूरत है और किसको कितना देना चाहिए।

हम अपने देश में सच्चे लोकतंत्री प्रजातन्त्र की नींव रखने जा रहे हैं और मैं समझता हूं कि उसके लिए वह बहुत अत्यावश्यक है कि राजनैतिक पीड़ितों को सहायता देते समय हम किसी किस्म का भी पक्षपात या भेदभाव न बर्तें और यह पर्वाह न करें कि वह हमारी पार्टी का है या दूसरी पार्टी का है।

सभापति महोदय मैं आपका बहुत आभारी हूं जो आपने मुझे इस अवसर पर बोलने का अवसर दिया।

श्रीमती उषा नेहरू : (जिला सीतापुर व जिला खेरी-पश्चिम) : सभापति महोदय, मैं डा० राम सुभग सिंह को धन्यवाद देती हूं जिन्होंने कि यह प्रस्ताव सदन के सामने रखा। जब मैंने यहां हाउस में भाषणों को सुना तो मेरी आंखों के सामने हिन्दुस्तान की जीती जागती सच्ची तसवीर सामने आगई और मुझे पुरानी बातें याद आ गईं। जब मैं देखती हूं कि वे लोग जिन्होंने कि इस मुल्क को आजाद कराया और उस स्वाधीनता संग्राम में अकेले पुरुष ही नहीं बल्कि स्त्रियां और बच्चे भी शामिल थे, उनकी कोशिशों और बलिदानों के फलस्वरूप हमारा देश आजाद हुआ और भारत भर में जनता राज्य कांग्रेस का राज्य कायम हुआ और एक माने में वह राज्य आजादी

[श्रीमती उमा नेहरू]

के सिपाहियों का राज्य है जो कि पहले रिबेल्स थे, आज हिन्दुस्तान आजाद हो जाने के बाद शासन कर रहे हैं, ऐसी हालत में मैं समझती हूं कि जो हमारे मुल्क में राज्य कर रहे हैं और जिनके कि हाथ में हुकूमत की बागडोर आई है, वे सबसे पहले अपने उन आजादी की लड़ाई के साथियों की हालत सुधारने की ओर ध्यान दें, जिन्होंने कि कंधा से कंधा मिला कर आजादी की लड़ाई लड़ी और अनेक प्रकार की कुर्बानियां दीं। हम जो एक वेलफेयर स्टेट बनाने जा रहे हैं और हमारी सरकार जो कि पोलिटिकल सफरर्स की हैसियत से बैठी है उसका यह अव्वल फर्ज हो जाता है कि वह यह देखे कि जो भूखे नंगे हैं और इधर-उधर मारे-मारे फिर रहे हैं उनकी सब प्रकार से सहायता करे। हर स्टेट गवर्नमेंट का भी फर्ज होता है और सेंटर का भी फर्ज हो जाता है कि वे उन राजनैतिक पीड़ितों के परिवार वालों की हर तरह की सहूलियत पहुंचाने की कोशिश करें।

इस समय मेरे पास समय नहीं है नहीं तो मैं आपके सामने हिन्दुस्तान की आजादी की पूरी कहानी रखती। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहती हूं कि जब मैं देहातों में घूमती हूं तो देखती हूं कि लोग वहां पानी में डूबे हुए सरसों के साग को मल कर खा रहे हैं कि उनके पास रोटी तक खाने को नहीं है। मैंने स्त्रियों को देखा है कि एक साड़ी में वह गुजर करने पर मजबूर है और एक साड़ी को छोड़ कर उनके पास दूसरी साड़ी नहीं है और वह सब नकशा देख कर मैं यह कहने पर मजबूर हो जाती हूं कि हम आजाद तो जरूर हुए और हमारा अपना राज्य है लेकिन जो चीज पहले होनी चाहिए थी वह नहीं हुई है।

अभी जो मैंने वहां पर कुछ स्पीचें सुनीं तो मुझे यह मालूम हुआ कि यहां पर यह कहा गया कि अगर हम पोलिटिकल सफरर्स के वास्ते कुछ मुनासिब इंतजाम नहीं करेंगे तो पोलिटिकल सफरर्स का सरकार के विरुद्ध बागी हो जाने का डर है और उनके द्वारा वाएलेंस किये जाने का अंदेशा बतलाया गया। मैं अपने उन भाईयों से यह कहना चाहूंगी कि मैं भी आजादी की लड़ाई की एक अदना सिपाई रही हूं और मैंने अपने उन तमाम भाईयों के साथ महात्मा गांधी के सामने अहिंसा पालन करने की शपथ उठाई है, उसको हम भुला नहीं सकते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे भाई लोग भी अपनी प्रतिज्ञा को नहीं झुठलायेंगे। लेकिन मैं सरकार से पुरजोर अपील करूंगी कि वह अपने कर्त्तव्य को पहचानें और उन आजादी के सिपाहियों को और उनके परिवारों को जिनकी कि हालत आज बहुत खराब है उनकी तरफ ध्यान दें और उन्हें सहायता पहुंचाये क्योंकि सरकार को यह नहीं भूलना चाहिए कि वह उन्हीं देशभक्तों के त्याग और बलिदानों की वजह से शासन की कुर्सी पर पहुंची है।

श्री बिभूति मिश्र : सभापति महोदय, मैं डा० राम सुभग सिंह के प्रस्ताव का हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं उन स्टेट गवर्नमेंट्स को बधाई देता हूं जिन्होंने कि राजनैतिक पीड़ितों की अब तक सहायता की है। परन्तु मैं यहां पर यह कह देना चाहता हूं कि जैसे कि मेरे एक भाई ने कहा कि बिहार सरकार ने अपने यहां राजनैतिक पीड़ितों को ५०० रुपए तक की ही सहायता दी है, ठीक नहीं है और मैं जानता हूं कि बिहार सरकार ने अपने यहां ३, ३ हजार रुपये तक की राजनैतिक पीड़ितों की सहायता की है और इसलिए यह कहना गलत होगा कि बिहार सरकार ने कुछ आर्थिक सहायाता नहीं दी, अलबत्ता जितना उसके सामर्थ्य के अन्दर था उतनी ही सहायता वह दे सकती थी और उससे अधिक सहायता देना उसके बूते के बाहर की बात थी...

पंडित द्वा० ना० तिवारी : सर आन ए प्वाइंट आफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन, मैंने यह नहीं कहा कि ५०० रुपये से अधिक आर्थिक सहायता दी ही नहीं, एक आध केस में २ हजार रुपये की सहायता दी गई हो लेकिन अधिकत सहायता १५०, २०० रुपये की ही दी गई। में इससे तो इंकार नहीं करता कि किन्हीं केसेज में २००० रुपये की सहायता दी गई है।

श्री विभूति मिश्र : इस सम्बन्ध में मैं अपने प्रधान मंत्री जी से मिला था। प्रधान मंत्री जी भी चाहते हैं कि राजनीतिक पीड़ितों की सहायता हो, उनके बाल बच्चों की सहायता हो। अगर प्रधान मंत्री जी यहां पर होते तो मैं समझता हूं कि जरूर वह इस बिल पर बोलते और जितना भी हो सकता वह सरकार की ओर से लोगों को देते।

अभी श्री शिब्बन लाल सक्सेना ने कहा कि डिस्क्रिमिनेशन किया गया। हमारे यहां बिहार में जो एम० एल० ए० या एम० पी० हैं, मैं नहीं समझता कि उन्हें राज्य सरकार से कोई फायदा मिला हो, हो सकता है कि यू० पी० में किया गया हो, कि कांग्रेस वालों को फायदा पहुंचा हो।

मुझे एक बात यह कहनी है कि जो हमारे नानवायोलेंस के सिपाही हैं जिनके बच्चे तकलीफ में पड़े हैं उनकी रक्षा हमको ज्यादा करनी चाहिए। दुनिया में दो ही उसूल हैं, एक वायोलेंस का और दूसरा नानवायोलेंस का। अगर हम चाहते हैं और सरकार चाहती है कि नानवायोलेंस का पक्ष रहे तो, उनको सहायता अवश्य मिलनी चाहिए। अगर उनको सहायता मिलेगी तो उनके बच्चे ज्यादा पढ़ें लिखेंगे और दुनिया में नानवायोलेंस की स्थापना में मदद मिलेगी। अगर नानवायोलेंस को नहीं चाहते हैं तो हमारा सारा ढांचा टूट जाता है। आज जो हम नानवायोलेंस पर चल रहे हैं उसका कारण हमारे आन्दोलन ही हैं।

पिछली दफा मैं अपने चुनाव क्षेत्र में गया था। वहां पर मैंने जवाहर नाम के एक अपने साथी को बेतियां में लाल बाजार के चौराहे पर भीख मांगते हुए देखा। उस समय मेरे पास सिर्फ थोड़ा सा पैसा था, मेरा हृदय टूक-टूक हो गया, मैंने उससे उनकी सहायता की। लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे आजादी के सिपाही मदद पाएं। वह दर-दर भीख मांगें और हमारी सरकार देखती रहे यह कैसे हो सकता है? जिन्होंने वेन्गाजी और पर्शिया में दूसरों के लिए लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों के राज्य के लिए लड़ाई लड़ी, उन्हें तो आज पैंशन मिलती है लेकिन आज वह सिपाही जिन्होंने हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ी और आजादी हासिल की उनको सहायता नहीं मिलती है। अभी प्रधान मंत्री ने जौनपुर में एक व्याख्यान दिया कि हिन्दुस्तान में कांग्रेस का राज्य इस लिए है कि उन्होंने हाल में ही इंडिपैंडेंस की लड़ाई लड़ी है और उस लड़ाई के बहुत से सिपाही कांग्रेस में हैं। इसलिए उसकी धाक है। मैं चाहूंगा कि कांग्रेस की धाक देश में हमेशा रहे, भले ही हमारे विरोधी कहें कि वह न रहें, लेकिन वह रहेगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि सरकार उनकी पूरी सहायता करे जिन्होंने आजादी की लड़ाई में बलिदान किए हैं। उनके बच्चों को छात्रवृत्ति दे जब हमारी स्वराज्य की लड़ाई चलती थी उस समय हमारे आई० सी० एस० आफिसर्स जो कि विदेशी सरकार के आफिसर थे, वह लोगों को पीटते थे, उनको दबाते थे लेकिन जब सरकार हमारे हाथ में आई तब भी वह अपने स्थानों पर ही नहीं बने रहे, उनकी तरक्कियां भी हुई। मैं अपने जिले को जानता हूं जहां के सुपरिंटेंडेंट आफ पुलिस आई० जी० के स्थान तक पहुंच गए। उन लोगों को तो अफसरी मिलती है, लेकिन हमारे बच्चे आज पढ़ भी नहीं सकते हैं। आप बतलाइये कि हमारे बच्चे कैसे उनके बच्चों के साथ किसी कम्पिटीशन में आ सकेंगे। उन लोगों के लिए तो ट्यूटर रक्खे जाते हैं, उनके लिए सारी सहूलियतें हैं, लेकिन जो हमारे सिपाही हैं उनके लड़के क्या

[श्री विभूति मिश्र]

करें। जो आदमी सन् १९२० के मूवमेंट में हमारे साथ थे जो कि आज से ३०, ३५ वर्ष पहले हमारे साथ थे अब उनका १०, १५ आदमियों का परिवार हो गया है, उनको पेट भर खाना भी नहीं मिलता तो हमारे उन आदमियों के बेटे आई० सी० एस० अफसरों के बेटों के साथ कैसे मुकाबला कर सकते हैं? इस प्रकार करने से तो फिर हमारे यहां विदेशी मनोवृत्ति वालों का राज्य होगा। हम एक सिद्धान्त पर लडाई लड़े, उसका प्रचार हमारे द्वारा हो सकता है, दूसरों के द्वारा नहीं, लेकिन अगर हम अपने बच्चे नहीं पढ़ा सकते हैं तो हमारे अहिंसा के सिद्धान्त का प्रचार कैसे हो सकता है? आज महात्मा गांधी का अहिंसा के सिद्धान्त के प्रचार के लिए आवश्यक है कि हमारे बाल बच्चों को पढ़ाया जाए। इसका कारण यह है कि हमको अहिंसा एवं स्वराज्य के लिए दर्द है क्योंकि हमने अहिंसा-के द्वारा स्वराज्य हासिल किया है, हमारे बच्चे को भी उसके लिए दर्द होगा क्योंकि वह सोचेगा कि हमारे बाप, हमारे दादा और बाबा आजादी की लड़ाई लड़े हैं इस लिए जिस सिद्धान्त को लेकर लड़े हैं, उस सिद्धान्त का प्रचार करना चाहिए। मैं सरकार से कहूंगा, हमारे मंत्री जी तो शायद ध्यानपूर्वक सुन नहीं रहे हैं, मैं चाहता था कि हमारे मौलाना आजाद साहब यहां होते, क्योंकि वह स्वराज्य की लड़ाई में बड़े जबर्दस्त योद्धा रहे हैं, उनके मातहत हमने स्वराज्य की लड़ाई लड़ी है, अगर वे यहां पर होते तो बड़ा अच्छा होता। जहां पर इतना अहम मसला चल रहा है, जो इतना जरूरी सवाल है उस वक्त सरकार की तरफ से एक डिप्टी मिनिस्टर को बिठला दिया गया है। मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा इस समय यहां पर बड़े से बड़े मिनिस्टर को होना चाहिए था, यह इतना अहम सवाल है जिसकी बुनियाद पर एक ओर हमारे मिनिस्टर आज मिनिस्टर हैं, प्रधान मंत्री हैं, हमारी पार्लियामेंट और असेम्बलीज के मेम्बर हैं दूसरी ओर हमारे साथी भूख की पीड़ा सहते हैं, उनको खाने को नहीं मिलता है, गांवों में रहकर सारे दुःख उठा रहे हैं, यह बहुत लज्जा की बात है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर ध्यान दे, अगर हमारे प्रधान मंत्री जी यहां पर होते तो वह अवश्य इस प्रस्ताव को स्वीकार करते। वैसा योद्धा आज देश में एक भी नहीं है जो कि कांग्रेस की इज्जत और प्रतिष्ठा और देश की लज्जा को आगे बढ़ा सके।

आज डा० राम सुभग सिंह ने जो प्रताव रक्खा है उसमें उन्होंने जो स्कालर्शिप की बात कही है, सरकार को उसमें जरा भी इधर-उधर नहीं करना चाहिए, एक कामा या फुलस्टाप का भी परिवर्तन नहीं करना चाहिए और स्वीकार कर लेना चाहिए। मैं जानता हूं कि किस तरह से हमने स्वराज्य की लड़ाई लड़ी। हम लोग सन् १९२१, १९३०, १९३२–३४, १९४१ और १९४२ में लड़ाई में कूदे। मैं सन् १९३२ में इसी दिल्ली जेल में आया था, हम लोगों पर मार पड़ी, यहां के पुलिस वालों ने हम लोगों के होश खत्म कर दिए थे। स्वराज्य की लड़ाई के बाद अगर हमारे लोगों को, हमारे बाल बच्चों को शिक्षा के लिए पैसा नहीं मिलता तो हम लोग क्या करेंगे? हमारे बहादुर साथियों को रात में खाना तक नहीं मिलता है, इधर-उधर भीख मांगते हैं, हमारी कोई बात नहीं पूछता है, हमारे कितने भाई हैं, हमारी अपनी सरकार होते हुए भी हमारी सहायता नहीं करते हैं, उनको सहायता देते हैं जिन्होंने इस देश में ही रह कर हम लोगों के आन्दोलन को दबाया, इंडिया गवर्नमेंट की सर्विस में रहे और विलायत जा कर पेंशन पा रहेहैं, लेकिन स्वराज्य की लड़ाई करनेवालों के लिए पेंशन की बात तो कौन कहे, उनके बच्चों की पढ़ाई की फीस भी माफ नहीं होती है? आज आप बेकवर्ड क्लासेज के लोगों को स्कालशिप्स देते हैं, उनमें से जिन लोगों के माता पिता स्वराज्य की लड़ाई में सिपाही रहे हैं उनको जरा ज्यादा खयाल किया जाए और मैं चाहता हूं कि जहां तक हो सके सरकार उनकी पूरी सहायता करे।

Shri Raghavachari: Mr. Chairman, I rise to support the principle underlying this and I only wish to give a particular instance. There is a man who took part in the freedom movement and worked very sincerely. He is an able-bodied man but now he has lost his eyes. The man belongs to Settipalli in Penukonda taluk. He has children; he has nothing, he cannot earn because he has become blind. He approached Shri Vinoba Bhave and others and they gave him a millstone and told him, 'go on, grind paddy and earn something'. The man comes and tell me, 'myself and my wife do the thing for 6 or 8 hours a day and it is not possible to earn more than 8 or 10 annas'. The little children come for subscription. Some people give. But this is the miserable condition of the parents who has worked his little bit for the freedom movement. He finds his children unable to be educated. It is a pitiable thing. There are hundreds and hundreds of cases like this. Therefore, the principle underlying deserves support.

This is a Welfare State and therefore any amount of conveniences have to be provided for the welfare of the younger generation. It is part of the duty of our Government. The question is, can the Government with its present resources undertake this responsibility for the education of all the people. Therefore, why do you want to create a separate class of children of political sufferers for special treatment? Those who are not political sufferers will naturally criticise and say these men want to compel Government and get to themselves an advantage. This would be the objection.

The other objection would be that education is a State subject and the Centre has nothing to do. That is a possible objection that the Government may take. The principle behind a Welfare State is that they must anticipate these difficulties and provide for the removal of these things. That is most important. But the danger would be....

An Hon. Member: Freedom struggle was not a State affair.

Shri Raghavachari: I know that. My point is that when a political party is in power and that political party is the party that primarily suffered in the struggle, they can do anything with this power. Hundreds and thousands were killed and their children are practically left orphans. Therefore, is it wise or is it safe that this kind of special facility should be adopted and that all the power should be left in the hands of a political party? It is liable to be abused. This is the other kind of criticism that may be urged against this.

In the British days we would not tolerate such preferential treatment and educational conveniences for military personnel and their children. We criticised that. We had the right to criticise and we were just in criticising because they did not fight for the freedom of this our country but they fought for the freedom and glory of other countries. Now, our political sufferers have fought for the freedom of our country. Certainly no moral or any other objection can be raised. This is a very sound and proper cause and the States also should very sympathetically consider this proposal even though it may be possible for small abuses to occur here and there when powers are vested in political parties. Yet as a Member of the Opposition of this House I would expect, and am hopeful that Government would mostly exercise these powers properly though there may be a small precentage of misuse. I am strongly in favour of this resolution.

18 hrs.

I would only mention that the Madras Government offered political sufferers five acres of wet land or 15 acres of dry land, to be assigned to them free of cost. There were lots of differences of opinion. Shri Rajagopalachari said "This is improper" and other Ministers said "It is quite all right"— That was in Shri T. Prakasam's time. Nevertheless that arrangement is

[Shri Raghavachari]

there. Hundreds of people have been given lands, but the real difficulty is that most political sufferers are not agriculturists. Therefore, the question of absentee landlords and similar troubles have come in. Therefore, that is not a useful assistance for educational purposes of their young children; well-trained, and well-educated young men whose parents fought for the freedom of the country, would be the best citizens and certainly would contribute their best for the welfare of the country. Therefore, I am fully in support of this resolution.

Shri Gidwani: I am in favour of the substitute resolution moved by Shri Tiwary, because the resolution of Dr. Ram Subhag Singh is very much limited in scope, though I congratulate him for bringing this resolution so that the matter may be discussed by the House. I wish the House were full and more Ministers were present, particularly the Home Minister....

An Hon. Member: The Education Minister.

Shri Gidwani: His deputy is there and he is represented, but the Home Minister should have been here because it is a wider subject, and if the problem is to be tackled, the Education Ministry by itself cannot do it.

I am merely summarising my points. The first thing is that our Government should take a census of all political sufferers, irrespective of their political affiliations, whether they were believers in the cult of bomb, whether they were underground workers, whether they were non-violent satyagrahis, whether they were even constitutional workers who might not have even gone to jail but who might have given their life for the freedom of the country.

The second thing is that this matter should be dealt with on an all-India basis. Therefore, the Central Government should take it. I know some States have tackled this problem, but as my friends from Bihar and U.P. have stated that it has not been done adequately and that the relief given is not sufficient. I know that in some States, nothing has been done; in Bombay nothing has been done and so also in Rajasthan. There may be various reasons. As Shri Nair put it, the freedom struggle was for the whole of the country and therefore this matter should be a Central affair.

Then there should be a uniform policy laid down in this respect. Of course, this is the last session. We may have a small session afterwards, but practically this is the last session. The Deputy Minister of Education is there. Unless he communicates the decision of the House to the Government and Government formulates its policy, I do not expect much will be done. It is a good thing that the House has become aware of it and we must express our opinion freely to the Government. We are criticising the officers as if they are the Government. They are not the Government; they are only subordinates to our Ministers. If we have to find fault with anybody, we have to find fault with ourselves first. We choose our Ministers. What is the good of crying here and saying that these official have become the bosses. It is true that they have benefited, but the policy of moulding the destiny of the country, particularly so far as attending to the grievances of these political sufferers is concerned, can only be laid down by the Government.

We form the Government. We form the Ministry. Therefore, I suggest that the first thing that should be done in the new Parliament should be a resolution on the lines of Pandit Tiwary's. It should be brought in before the House and we must prevail upon the Government to accept it in its entirety.

I will refer to an application from a political sufferer seventy years old. He was in the Education Department in Sind in 1921. He resigned his job. If he had continued there, he would

have become an inspector and drawing a pension of Rs. 400 or so. He came here only a few days back. During the last ten years after freedom, I have been communicating with the Home Ministry regarding him. His name is Professor Tarachand Gajra and two other political sufferers, Shri Thakurdas and Dr. Dayaram. They resigned their jobs in 1921 because Mahatma Gandhi wanted that people should leave the Government services. For the last ten years, I have been carrying on correspondence with the Home Ministry but nothing has been done. Rules are quoted. The political sufferers are in a very miserable plight and it is high time that we realised our responsibility towards them. What we Members of Parliament feel is indicated by our speeches and it is time that we did something substantial for them. That can only happen when the Congress Party unanimously told the Government that this matter must be taken up at the earliest possible moment and that every effort should be made to relieve the suffering of the political liberators of the country. They have done great honour to themselves and to the country for which they had suffered. I hope that we, or those of us who come back, will see that this will be the first act which our Government does by which we shall try to rehabilitate them and remove their grievances.

18.07 hrs.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

RULES COMMITTEE

SIXTH REPORT

Pandit Thakur Das Bhargava (Gurgaon): Sir, I beg to lay on the Table the Sixth Report of the Rules Committee.

RESOLUTION *RE* SCHOLARSHIPS FOR CHILDREN OF POLITICAL SUFFERERS—*contd.*

Shri Raghunath Singh (Banaras Distt.—Central): Sir, the time should be extended. We are so many Members who want to speak and participate. It is an important subject which concerns the whole of India.

Shri A. K. Gopalan: I also want to make one request. Till now, there was not a single person who had opposed it. As far as this House is concerned, everybody has expressed himself in favour of it. So, the Minister may reply. Some time may be given for me to move my Resolution.

The Deputy Minister of Education (Dr. M. M. Das): Opinions from more Members will also help the Government to formulate its policies.

Shri Raghunath Singh: We want to express our opinions and put forward some valuable suggestions. Therefore, we request that time should be extended at least by half-an-hour.

Mr. Speaker: Order, order. How many hours had been taken?

Shri A. K. Gopalan: 2½ hours. Seven minutes were taken on that day. So, seven minutes should be left over to the other Resolution.

Mr. Speaker: If time is extended, the hon. Member will have to take his chance the next day.

Shri A. K. Gopalan: There is no chance. That is what I say. This is the last day on which the resolutions are to be discussed. On the 22nd, they cannot be discussed; that is why I say that this has been moved and discussed at least. I have no chance next time. I want a chance.

Shri K. K. Basu (Diamond Harbour): It can be done unless of course they want to stifle the whole thing.

Shri A. K. Gopalan: I want to say that if the time is extended, the next resolution may be taken today. The next resolution is also important. I only want seven minutes. I have no objection if the House sits till 7-30 p.m. I only want seven minutes to which I am entitled. I would not insist on this but for the fact that this is the last session of this Parlia-